रजिस्टर्ड ए.डी.

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई)/आरटीआई/अलेसे –III/ दिनांक :–

1 श्री इन्द्र लाल सांखला,
पुत्र श्री फाउलाल,
बेरा हेमजी का रैतिया,
जैतारणिया गेट के बाहर,
सोजतसिटी (पाली)

2 श्री इन्द्र लाल सांखला,
कनिष्ठ लेखाकार
कार्यालय–निदेशालय कोष एवं लेखा

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत्।

प्रसंगः– आपका आवेदन दिनांक 21-10-2011 निदेशालय मे प्राप्ति दिनांक 31-10-2011

आपके द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत प्रेषित आवेदन पत्र दिनांक 21-10-2011 (निदेशालय मे प्राप्त दिनांक 31-10-2011) मे बिन्दुवार सूचना मांगी गयी है। मांगी गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:–

बि.सं.	चाही गई सूचना	सूचना का विवरण
1-	पूर्व मे सूचना के अधिकार के तहत प्रेषित आवेदन प्रपत्र की दोनों साईड की 5-5 प्रमाणित प्रतियां।	पूर्व में प्रेषित आवेदन पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां हेतु पृष्ठ–3 के लिए राशि 6/–रूपये देय है।
2-	इस आवेदन प्रपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियां 5-5	इस आवेदन पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां हेतु पृष्ठ–3 के लिए राशि 6/–रूपये देय है।
3-	वर्तमान में सेवारत कुल कनिष्ठ लेखाकारों की संख्या। ऐसे कनिष्ठ लेखाकारों की संख्या व नाम व कार्यालय का नाम की सूची, जिन के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है। D.E. चलने वाले लेखाकारों की कुल संख्या व नाम सूची।	वर्तमान में सेवारत कनिष्ठ लेखाकारों की कुल संख्या 2656 है। जिन लेखाकारों एवं कनिष्ठ लेखाकारों के विरूद्ध विभागीय जांच चल रही है, उनके संबंध मे संधारित रजिस्टर की छाया प्रतियां हेतु पृष्ठ–152 के लिए राशि 304/–रूपये देय है।
4-	वर्तमान में सेवारत कुल कनिष्ठ लेखाकारों में से कुल ऐसे कनिष्ठ लेखाकारो की कुल संख्या व कार्यालय नाम पते सहित सूची, जिनके विरूद्ध निर्दोष पाए जाने की विभागीय जांच समाप्त हुई।	वर्तमान मे सेवारत कनिष्ठ लेखाकारों की कुल संख्या 2656 है। जिन कनिष्ठ लेखाकारो के विरूद्ध वर्ष 1991 से विभागीय जांच चली है, उनके संबंध मे संधारित रजिस्टर की छायाप्रति हेतु पृष्ठ–390 के लिए राशि 780/–रूपये देय है।
5-	निदेशालय कोष एवं लेखा की स्थापना से अब तक कुल कितने कनिष्ठ लेखाकारों के विरूद्ध विभागीय जांच चली व चल रही है ? उनकी कुल संख्या, मय नाम व कार्यालय का पता।	जिन कनिष्ठ लेखाकारों के विरूद्ध विभागीय जांच वर्ष 1991 से चली व चल रही है, उनके संबंध मे संधारित रजिस्टर की छायाप्रतियां हेतु पृष्ठ–390 के लिए राशि 780/–रूपये देय है।
6-	दिनांक 21-10-2011 को कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में कनिष्ठ लेखाकार का 1 पद रिक्त होन या न होने का प्रमाण पत्र।	चाही गई सूचना के अनुसार स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर में एक पद रिक्त है।

7-	कार्यालय महानिरीक्षक, पुलिस रेंज प्रथम, जयपुर मे सेवारत कार्यालय अध्यक्ष का नाम, पुलिस विभाग की रेंक व पदनाम, एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार कार्यालय के प्लाट नम्बर, भवन नम्बर, वार्ड नम्बर, गली नम्बर, मोहल्ला, कॉलोनी इत्यादि का विस्तृत कार्यालय पते (Address) का प्रमाणित प्रमाण पत्र।	पुलिस आयुक्त, जयपुर से संबंधित है। अतः सूचना सीधे ही प्राप्त करें।
8-	कनिष्ठ लेखाकार क पद पर मेरे कार्यग्रहण से अब तक आज दिनांक 21-10-2011 तक, मेरे द्वारा मेरे पूर्व के कार्यालयों के D.D.O. व कार्यालयध्यक्षों द्वारा की गई वित्तीय अनियमितताओ की रजिस्टर शिकायते भेजी, निदेशालय कोष एवं लेखा को भेजी, उन शिकायतो के मूल की प्रमाणित प्रतियां 1-1	वर्तमान में निदेशालय में आपकी व्यक्तिगत पत्रावली के 6 पार्ट संधारित है। आपके द्वारा चाही गई सूचना विशिष्ट नहीं है। अतः आप निर्धारित शुल्क जमा कराकर कार्यालय समय में कभी भी अपनी पत्रावलियों का अवलोकन कर लेवें तथा जिस–जिस पत्र/आदेश/निर्णय की प्रति चाहिए वह चिन्हित कर अवगत करावे तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर ले।
9-	उपर्युक्त उल्लेखित बिन्दु नम्बर 8 की D.D.O. द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जो शिकायते भेजी। आपके द्वारा उनकी की गई तथ्यात्मक जांच की जांच रिपोर्टसकी प्रमाणित प्रतिलिपितयां 1-1	वर्तमान में निदेशालय में आपकी व्यक्तिगत पत्रावली के 6 पार्ट संधारित है। आपके द्वारा चाही गई सूचना विशिष्ट नहीं है। अतः आप निर्धारित शुल्क जमा कराकर कार्यालय समय में कभी भी अपनी पत्रावलियों का अवलोकन कर लेवें तथा जिस–जिस पत्र/आदेश/निर्णय की प्रति चाहिए वह चिन्हित कर अवगत करावे तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर ले।
9-	D.D.O. व कार्यालयध्यक्षों द्वारा मेरी झूठी शिकायतें करने पर मेरे विरूद्ध खोली गई विभागीय जांच में प्रार्थी श्री इन्द्रलाल सांखला के निर्दोष पाए जाने एवं जांच समापन का आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपियां 5	वर्तमान में निदेशालय में आपकी व्यक्तिगत पत्रावली के 6 पार्ट संधारित है। आपके द्वारा चाही गई सूचना विशिष्ट नहीं है। अतः आप निर्धारित शुल्क जमा कराकर कार्यालय समय में कभी भी अपनी पत्रावलियों का अवलोकन कर लेवें तथा जिस–जिस पत्र/आदेश/निर्णय की प्रति चाहिए वह चिन्हित कर अवगत करावे तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर ले।
10-	प्रार्थी द्वारा माह जुलाई 2011 से अक्टूबर 2011 तक के 4 माह तक कार्यालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर मे कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद पर पदस्थापन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का प्रपोजल बनाकर पुट–अप न करने व पदस्थापन न करने के कारणों का प्रमाण पत्र।	सूचना में किसी दस्तावेज अथवा अभिलेख की प्रति नहीं मांगी है। सूचना प्रश्नवाचक है। अतः उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।
11-	दिनांक 07-07-2011 से 31-10-2011 तक प्रार्थी द्वारा स्थानान्तरण हेतु निदेशालय का प्रेषित प्रार्थना पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां 1-1	चाही गई प्रतियां हेतु पृष्ठ–4 के लिए राशि 8/–रूपये देय है।

आपके द्वारा सूचना 5-5 प्रतियो मे मांगी गयी है। आपकी सूचना एक प्रति मे उपलब्ध कराई जायेगी तथा तदानुसार उक्त विवरण के अनुसार एक प्रति की राशि 942 पृष्ठो के लिए 1884/-रूपये नकद/पोस्टल ऑडर/मनी ऑडर/बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशालय मे जमा करावे जिससे वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

यदि आप प्राप्त सूचना/सूचनाओ से संतुष्ट नहीं है, तो 30 दिवस की अवधि मे प्रथम अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त एवं योजना विभाग) शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते है।

लोकसूचना अधिकारी
एवं
निदेशक कोष एवं लेखा

क्रमांक एफ.4 (ई)/आरटीआई/अलेसे -III/ 9072 दिनांक :- 25-11-2011

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1- संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सूचना प्रकोष्ठ कार्यालय हाजा।
2- कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा वित्त भवन को वेबसाईट पर डालने हेतु।
3- नोटिस बोर्ड, कार्यालय निदेशालय कोष एवं लेखा।

लोकसूचना अधिकारी
एवं
निदेशक कोष एवं लेखा